बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
सं0–4 / निदे0–एस0सी0ए0–टी0–45–07 / 2008–1723

प्रेषक,

डा0 के0 पी0 रामय्या,
सरकार के सचिव।

सेवामें,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी

पटना, दिनांक– 16/6/10

विषयः अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजना तथा संविधान की धारा – 275(1) के तहत् ली जानेवाली योजनायें तथा कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु **जनजाति उप योजना (TSP) के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजना एवं संविधान की धारा–275 (1)** के अन्तर्गत योजना के आलोक में अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगींण विकास की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

2– इन योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध मे समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत तथा विभाग द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जनजातिय आबादी राज्य के शेष आबादी की तुलना में विभिन्न मापदण्डों यथा– शिक्षा,स्वास्थ्य एवं आय में सबसे नीचे है। समाज के ये वंचित समूह भौगौलिक एवं सांस्कृतिक अलगाव से भी जूझ रहे है और उनकी समस्या भी जटिल है क्योंकि उनकी जीवन पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है, एवं प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप है। ये सुदूरवर्ती तथा विरल जनसंख्या धनत्व वाले क्षेत्र में रहतें है तथा इनके क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा, रोजगार के अवसरों तथा स्वास्थ्य सेवाओं का आवश्यकतानुसार लाभ नहीं मिल पाता है।

3– इन योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा के क्रम में यह देखा गया है कि जिला स्तर पर कतिपय बिन्दुंओं में अबभी अस्पष्टता बनी हुई है जिसके कारण योजनाओं का चयन, सामग्रियों का क्रय एवं वितरण में कठिनाई उत्पन्न होने के कारण इन दो योजनाओं में राशि समय पर व्यय नहीं हो पा रही है।

4– उपरोक्त कठिनाईयों को देखते हुए संविधान की धारा–275 (1) की योजनाओं एवं जनजाति उप योजना (**TSP**) के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाओं के कार्यावन्यन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शन के अनुरूप कार्य करने का निदेश जारी किया जाता हैः–

202

(क) जनजाति उप योजना (TSP) के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता

केन्द्र सरकार द्वारा जनजाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत् प्राप्त राशि में आयोत्पादक योजनाओं के लिए 70% तथा आयोत्पादक योजनाओं के लिए आधारभूत संरचना विकास हेतु 30 % राशि जिलों को आवंटित किया जाता है। कुल आवंटित राशि में से 30% राशि अनु0जनजाति महिलाओं के लिए व्यय किया जाना है।

(i)–योजनायें– राज्य में अनुसूचित जनजातियों और आदिम जनजाति (PTGs) के जनसंख्या के अनुसार माडा Modified Area Development Approach (MADA) Pockets एवं माडा क्षेत्र के बाहर समूह में बसे हुए अनुसूचित जनजातियों और आदिम जनजाति (PTGs- Primitive Tribal Group) के लिये विशेष योजनाओं यथा– विद्यालय भवन एवं छात्रावास भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार, पेयजल कूंप, सिंचाई कूप, सामुदायिक एवं सांस्कृतिक भवन, चेक डैम/ जलाशय/ पूल निर्माण नाली निर्माण, पथ निर्माण, बैल वितरण, गाय वितरण, भैंस वितरण, बकरी वितरण पंप सेट वितरण, विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण वितरण , खाद– बीज वितरण, सिलाई मशीन, रिक्शा, ठेला/ टमटम वितरण,कुटीर उद्योग, मतस्य पालन, भूमि समतलीकरण, टकंण प्रशिक्षण, सिलाई –बुनाई प्रशिक्षण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना एवं अन्य आयोत्पादक योजनाओं का संचालन किया जा सकता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए वैसी योजनाओं का चयन किया जाय जो परिवारोन्मुखी हो, जिससे व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो । इसके अतिरिक्त सामूहिक और सामाजिक लाभ की योजनाओ को लिया जा सकता है।

(ख) संविधान की धारा–275(1) के अन्तर्गत आधारभूत संरचना विकासः

केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र में मात्र आधारभूत संरचना विकास हेतु चयनित योजनाओं के विरूद्य राशि उपलब्ध कराई जाती है।
इन योजनाओं में जनजाति बाहुल्य टोला/ग्रामों में लिंक रोड, छोटे सिंचाई की योजना, जनजाति विद्यालयों के लिए अतिरिक्त भवन, सामुदायिक भवन, खेल–कुद उन्नयन, पेय जल, छोटे पूल–पुलिया निर्माण, विद्युतिकरण,वन क्षेत्र के ग्रामों का उन्नयन तथा अन्य वैसे आधारभूत संरचना विकास की योजनायें जिससे जनजाति क्षेत्र में उन्नयन हो सके। प्राप्त राशि में से **30% राशि अनु0जनजाति महिलाओं के लिए व्यय किया जाना चाहिए।**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम– 2006 एवं नियम–2007 के तहत् समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण, ऑकडों के संधारण एवं अन्य संबंधित व्यय संविधान की धारा–275 (1) की राशि से किया जा सकता है।

(i)—जिला स्तरीय चयन एवं अनुश्रवण समिति— MADA एवं माडा क्षेत्र के बाहर समूह में बसे हुए अनुसूचित जनजातियों और आदिम जनजाति (PTGs) के लिये **जनजाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत् विशेष योजनाओं तथा संविधान की धारा—275 (1)** के तहत् योजनाओं के चयन के लिये जिला स्तर पर गठित चयन समिति के सदस्य निम्नवत् होगे। :—

क्रमांक	पदाधिकारी का पद नाम	
1	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष,
2	संबंधित जिला के उपविकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
3	संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी ——	सदस्य
4	जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित दो अनु0जनजाति के सदस्य जो सरकारी पदा0 अथवा सरकारी संस्था के कर्मचारी नहीं हो तथा जिनका योगदान अनु0जनजाति के उत्थान में रहा हो। इनका कार्याकाल चयन की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगा।	सदस्य
5	संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्त गठित समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से आयोजित की जायेगी। बैठक आयोजन करने की जिम्मेवारी संबंधित जिला के जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का होगा। जिस माह में बैठक आयोजित नहीं होगी उसके लिए जिला के जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए एक प्रतिवेदन निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

उपरोक्त गठित समिति द्वारा जिला में अनु0जनजातियों के कल्याण से संबंधित अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों का प्रत्येक माह अनुश्रवण करेगी एवं प्रतिवेदन विभाग को भेजा जायेगा।

इस योजना के सम्बंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा— निदेशों की प्रति समय—समय पर आपको उपलब्ध करायी जाती है, जिसके आलोक में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में योजनाओं का चयन किया जाय।

(ii)—जिला स्तर पर स्वीकृतिः परिवारोंन्मुखी आयोंत्पादक योजना अन्तर्गत परिसम्पतियों का ईकाई मुल्य निर्धारण **नाबार्ड** द्वारा स्वीकृत दर अथवा प्रमंडल अन्तर्गत किसी एक जिला में क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर के आधार पर क्रय किया जा सकता है। परिसम्पतियों के चयन में लाभूकों का यथा सम्भव मत प्राप्त कर किया जाना चाहिए।

आधारभूत संरचना के तहत ली जाने वाली योजनाओं का तकनीकि एवं प्रशासनिक स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेश के अनुरूप ही प्रकिया अपनायी जाय।

(iii)—वार्षिक योजना तैयार करना:— सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनजातिय क्षेत्र के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करेंगे एवं जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से विभाग को भेजेंगे।

(iv)—परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन : सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन वितरण के 15 दिनों के अन्दर कराया जायेगा एवं प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv)—आधारभूत संरचना विकास की योजनाओं का भौतिक सत्यापन: सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा आधारभूत संरचना विकास की योजनाओं का भौतिक सत्यापन योजना प्रारभं होने की तिथि से प्रत्येक एक माह के अंतराल में कराया जायेगा एवं प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v)—प्रगति प्रतिवेदन: सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5— इस योजना के लिए आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी होगे तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

इस प्रकार संविधान की धारा—275 (1) एवं जनजाति उप योजना (TSP) के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी योजना ली जाए, जो परिवारोन्मुखी हो और जिससे व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा—निदेशों के आलोक में जनजाति उप योजना (TSP) के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा— निदेशों की अनुरूप योजना का कार्यवन्यन ससमय सुनिश्चित कराया जाये।

विश्वासभाजन,

(डा0 के0 पी0 रामैया)
सरकार के सचिव

205 (5)

ज्ञापांक—4/निदे0—एस0सी0ए0— टी0—45—07/2008—1723 पटना, दिनांक—16/6/10

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/आप्त सचिव, मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक,कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
16/6/2010